

34 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर आज लगेगी कोरोना वैक्सीन 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी नागरिकों को लगेगी वैक्सीन

रतलाम 30 जून। रतलाम नगर में शत-प्रतिशत कोरोना वैक्सीनेशन किये जाने हेतु 01 जुलाई गुरुवार को 34 वैक्सीनेशन सेन्टरों पर नगर के 18 वर्ष से अधिक आयु के समस्त नागरिकों को प्रातः 9 बजे से कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क लगाई जायेगी।

कलेक्टर एवं प्रशासक श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने अपील की है कि 18 वर्ष से अधिक आयु के ऐसे नागरिक जिन्होंने कोरोना का पहला टीका नहीं लगवाया है वे अपने निकटतम वैक्सीनेशन सेंटर पर आधार कार्ड के साथ उपस्थित होकर अनिवार्य रूप से वैक्सीन लगवाये।

वार्डवार बनाये वैक्सीनेशन सेन्टरों के तहत वार्ड क्रमांक 1, 2 व 3 रामकला सभागृह वार्ड क्रमांक 4 व 5 गुरु रामदास स्कूल विनोबा नगर, वार्ड क्रमांक 6 व 7 मार्निंग स्टार स्कूल इन्द्रलोक नगर, वार्ड क्रमांक 8 संत नामदेव पब्लिक स्कूल विनोबा नगर वार्ड क्रमांक 10 व 11 बोधी स्कूल डोंगरे नगर, वार्ड क्रमांक 9 व 12 साईं श्री एकेडमी स्कूल 80 फीट रोड, वार्ड क्रमांक 13 सिद्धेश्वर वाटिका सखवाल नगर, वार्ड क्रमांक 14 व 15 आईएमए हॉल राजेन्द्र नगर, वार्ड क्रमांक 16 व 17 उत्कृष्ट विद्यालय सागोद रोड, वार्ड क्रमांक 18 व 19 शांति निकेतन स्कूल टाटा नगर, वार्ड क्रमांक 20 सरस्वती स्कूल अमृत सागर, वार्ड क्रमांक 22 मानस भवन मोती नगर, वार्ड क्रमांक 23 ज्योति कान्चेंट स्कूल बालाजी नगर, वार्ड क्रमांक 24 सब्जीफरोश जमातखाना सायर चबुतरा, वार्ड क्रमांक 25 व 26 सगरवंशी माली समाज धर्मशाला मालीकुआं, वार्ड क्रमांक 27 व 38 जमातखाना शैरानीपुरा, वार्ड क्रमांक 28 मांगलिक भवन दिलीप नगर, वार्ड क्रमांक 29 कम्युनिटी हॉल मिड टाउन, वार्ड क्रमांक 30 व 31 काजीखान की मस्जिद जावरा रोड, वार्ड क्रमांक 32 व 33 लायंस हाल पावर हाउस रोड, वार्ड क्रमांक 34,35 व 36 रांगोली मैरिज गार्डन गीता मंदिर रोड, वार्ड क्रमांक 37, 39 व 40 कालिका माता धर्मशाला, वार्ड क्रमांक 41, 42, 43 व 44 माहेश्वरी धर्मशाला कसारा बाजार, वार्ड क्रमांक 21 व 45 महाकाल धर्मशाला खान बावड़ी, वार्ड क्रमांक 46 व 47 मदरसा तालीमुल कुरआन नयापुरा हाट रोड, वार्ड क्रमांक 48 व 49 सूरज हॉल वेदव्यास कालोनी, न्यू कलेक्टोरेट महू रोड (सरकारी कर्मचारी व परिवार व विदेश जाने वाले व्यक्तियों हेतु), घटला रेलवे अस्पताल (रेलवे कर्मचारी व परिवार हेतु), इप्का (इप्का कर्मचारियों हेतु) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये हैं।

इसके अलावा कोविशील्ड के दूसरे डोज हेतु डीआरएम ऑफिस दो बत्ती, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल, काश्यप सभागृह सागोद रोड, लोकेन्द्र टॉकिज व कोर्ट (सिर्फ जिला न्यायालय कर्मचारी) पर वैक्सीनेशन सेंटर बनाये गये हैं।

कोविड अनुकूल व्यवहार स्वयं भी करें व ग्राहकों से भी करवायें

व्यापारिक प्रतिष्ठान व दुकानदारों की निगम आयुक्त श्री झारिया ने ली बैठक

रतलाम 30 जून। माननीय मुख्यमंत्री के निर्देशानुसार कोविड अनुकूल व्यवहार को प्रोत्साहित किये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने व्यापारिक संघों, प्रमुख व्यापारिक प्रतिष्ठानों तथा दुकानदारों की बैठक निगम सभागृह में लेकर आह्वान किया कि कोविड अनुकूल व्यवहार स्वयं भी करें व ग्राहकों को भी कराये।

आयोजित बैठक में बताया कि कोविड-19 की दूसरी लहर के पश्चात् विगत दिनों में कोविड-19 के प्रकरणों के प्रकरणों में कमी आई है। इसके परिप्रेक्ष्य में नागरिकों की सुविधा की दृष्टि से कोरोना कर्फ्यू हटाने की कार्यवाही की जा रही है। कोविड-19 का प्रकोप पुनः महामारी के रूप में ना फैलें इसके लिये सभी नागरिकों से कोविड अनुकूल व्यवहार अपेक्षित है।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि रतलाम नगर में सभी की भागीदारी से कोरोना कन्ट्रोल में है, कोविड-19 का प्रकोप पुनः महामारी के रूप में ना फैलें इस हेतु सभी व्यापारिक

संघ, व्यापारिक प्रतिष्ठान तथा दुकानदार कोविड अनुकूल व्यवहार स्वयं भी करें व ग्राहकों को भी कराये।

उन्होंने आह्वान किया कि दुकानों में प्रवेश के लिए ग्राहकों की सीमित संख्या रखें, बिना मास्क के प्रवेश वर्जित करें, कूपन सिस्टम लागू करें, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें, भोजन, नाश्ता, दूध, मिठाई आदि की होम डिलीवरी करें। सघन बाजारों में सीमित संख्या में प्रवेश का पर्यवेक्षण व्यापारिक संघों द्वारा स्वयं किया जाये।

बैठक में निगम आयुक्त श्री झारिया ने बताया कि कोविड अनुकूल व्यवहार करने वाले व्यापारिक प्रतिष्ठान, दुकानदारों को पुरुस्कृत किया जायेगा व कोविड अनुकूल व्यवहार का पालन नहीं करने वालों के विरुद्ध चालानी कार्यवाही की जायेगी।

आयोजित बैठक में उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, सहायक आयुक्त श्रीमती ज्योति सुनारिया, कार्यपालन यंत्री श्री जी.के. जायसवाल, श्री सत्यप्रकाश आचार्य, स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, निगम सचिव श्री जसवंत जोशी, निज सहायक श्री सुभाष गोयल, कार्यालय अधीक्षक श्री रामचन्द्र शर्मा, दुकानदार व व्यापारिक प्रतिष्ठान के मालिक सर्वश्री कमल कटारिया, सुरेन्द्र चत्तर, राजेश पटवा, जितेन्द्र देवानी, मोहनलाल मुरलीवाला, संजय पारख भगवानदास आदि उपस्थित थे।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा सफाई व्यवस्था का निरीक्षण सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर कठोर कार्यवाही प्रारंभ

रतलाम 30 जून। नगर की सफाई व्यवस्था को ओर अधिक चुस्त-दुरस्त बनाये जाने हेतु कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने प्रातः वार्ड क्रमांक 8, 9, 10 व 11, विरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन व जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड का निरीक्षण उपायुक्त श्री विकास सोलंकी, कार्यपालन यंत्री श्री सुरेशचन्द्र व्यास के साथ कर सफाई कार्य में लापरवाही बरतने पर स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारियों पर कठोर अनुशासनात्मक कार्यवाही करने के निर्देश दिये।

सफाई व्यवस्था के निरीक्षण के दौरान वार्ड क्रमांक 8, 9, 10, 11 व 12 में पदस्थ सफाई संरक्षक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर निगम आयुक्त श्री झारिया ने स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह की वेतन वृद्धि रोके जाने झोन प्रभारी श्री विनय चौहान, वार्ड क्रमांक 8 व 9 की दरोगा मोनिका चौहान, वार्ड क्रमांक 11 के दरोगा श्री तरुण राठौड़ की परीविक्षा अवधि 6 माह बढ़ाये जाने, वार्ड क्रमांक 12 के दरोगा श्री अर्जून गौसर का 1 दिवस का वेतन काटे जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। इसके अलावा वार्ड क्रमांक 10 का हाजरी रजिस्टर चेक करने पर 1 कर्मचारी को बिना आवेदन अवकाश देने पर वार्ड दरोगा श्री राजू कल्याण व संबंधित कर्मचारी का एक-एक दिवस का वेतन काटे जाने हेतु कारण बताओ सूचना पत्र जारी करने के निर्देश दिये।

विरियाखेड़ी ट्रांसफर स्टेशन के निरीक्षण के दौरान निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि किसी भी कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा नहीं आये इसकी सुनिश्चितता की जाये साथ ही एक काम्पेटर में गीला व एक काम्पेटर में सुखा कचरा डाले जाने के निर्देश दिये इसके अलावा निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड का भी निरीक्षण किया गया।

डेंगू का मरीज मिलने पर सफाई के साथ कराया कीटनाशक दवा का छिड़काव

रतलाम 30 जून। पीएण्डटी कालोनी क्षेत्र में डेंगू का मरीज मिलने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार मरीज के घर के आसपास साफ-सफाई करवाई जाकर कीटनाशक दवा का भी छिड़काव करवाया गया।

निगम आयुक्त श्री झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह ने मरीज के घर के आसपास साफ-सफाई करवाई इसके अलावा कीटनाशक दवा का छिड़काव

करवाकर मरीज के परिजनों को समझाईश दी कि वे पानी को एकत्रित कर उसे खुला ना छोड़े क्योंकि डेंगू का मच्छर साफ पानी में पनपता है।

रतलाम नगर के नागरिक डेंगू से ग्रसित ना हो इस हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने नागरिकों से अपील की है कि वे छत एवं घर के आसपास अनुपयोगी सामग्री में पानी न जमा होने दें, सप्ताह में एक बार अपने कूलर, बाल्टी, टब, टंकी आदि का पानी खाली कर इन्हे सुखा देवें, पानी के बर्तनों, टंकी आदि को ढंककर रखें, घर के आसपास के गद्दों में पानी जमा ना होने दें, मच्छरदानी का उपयोग करें।

नगर से निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन किया जा रहा है वजन 30 जून को 73 टन कचरा जुलवानिया पंहुचा

रतलाम 30 जून | निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर-घर से पृथक-पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले-सूखे कचरे व सड़को व नाले-नालियों की सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया जा रहा है जिसके तहत 30 जून मंगलवार को 73 टन कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहुचाया गया।

30 जून बुधवार को डम्पर व ट्रेक्टर ट्रॉली से 39585, काम्पेक्टर सूखा कचरा 19835, काम्पेक्टर गीला कचरा 12345 व कन्टेनमेंट मैजिक से 1465 किलो इस तरह कुल 73230 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहुचाया गया।

खुले में गंदगी करने व कचरा पात्र नहीं रखने पर 5 व्यक्तियों पर जुर्माना बगैर मास्क के 21 व्यक्तियों पर जुर्माना

गंदगी करने वालो की सूचना स्पॉट फाईन दल को दें

रतलाम 30 जून | कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम के निर्देशानुसार नगर में ऐसे दुकानदार व नागरिक जो कि खुले में कचरा डालकर शहर को गंदा करते हैं उन पर लगाम लगाने हेतु स्पॉट फाईन दल द्वारा संबंधितों पर स्पॉट फाईन की कार्यवाही की जा रही है जिसके तहत 30 जून को 5 व्यक्तियों पर जुर्माना किया गया।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्पॉट फाईन दल द्वारा खुले में गंदगी करने पर कन्हैया रेस्टोरेंट, चेतन, राकेश, संजय तोपखाना, जय गुरु गुर्जर चांदनी चौक पर 100-100 रुपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी ना करने की समझाईश दी।

इसके अलावा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में 21 ऐसे व्यक्ति जो बगैर मास्क के पाये गये उन पर 100-100 रुपये का जुर्माना कर मास्क अनिवार्य रूप से लगाये जाने की समझाईश स्पॉट फाईन दल द्वारा दी गई।

नगर निगम द्वारा नागरिकों से भी अपील की जाती है कि शहर को गंदा करने वाले नागरिकों, दुकानदारों आदि की जानकारी स्पॉट फाईन दल के मनोज टांक मो.नं. 7000848456, पवन झांझोट मो.नं. 7000128812, आकाश शिन्दे मो.नं. 9424075393, 7724981736 मनोज झांझोट मो.नं. 6268449110, राकेश ललावत मो.नं. 7000128812 को देकर नगर को साफ-स्वच्छ बनाने में सहयोग प्रदान करें।

1011 मवेशियों को पकड़कर नगर के बाहर की गौशालाओं में भेजा स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को रात्रि में भी पकड़ा जायेगा

रतलाम 30 जून | रतलाम नगर को साफ-स्वच्छ व सुन्दर बनाने हेतु नगर निगम द्वारा सार्वजनिक स्थानों, सड़को, चौराहों पर स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशियों को दिन में पकड़े जाने के साथ ही निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार निगम के

स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा अब रात्री में भी मवेशियों को पकड़ा जायेगा क्योंकि मवेशी पालको द्वारा दिन में मवेशियों को बांधकर रखा जाता है तथा रात्रि में खुला छोड़ दिया जाता है जिससे शहर में गंदगी होती है।

कलेक्टर एवं प्रशासक नगर पालिक निगम रतलाम श्री कुमार पुरुषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार स्वास्थ्य अमले द्वारा अभियान चलाया जा रहा है जिसके तहत 30 जून तक शहर के विभिन्न क्षेत्रों से 1011 मवेशियों को पकड़ा जाकर जिले की विभिन्न गौशालाओं में भेजा गया। अभियान के तहत 30 जून को तोपखाना, गौशाला रोड, हाट रोड, वेदव्यास कालोनी आदि क्षेत्रों से 7 मवेशी निगम के स्वास्थ्य विभाग अमले द्वारा पकड़ा गया।

शहर के सार्वजनिक स्थानों, सड़को चौराहो को मवेशी मुक्त बनाये जाने हेतु नगर निगम द्वारा शहर के मवेशी पालकों के बाड़े एवं तबेलो को अभियान चलाकर तोड़ा जायेगा इस हेतु निगम द्वारा नगर के सभी मवेशी पालकों को नोटिस जारी किया गया है। शहरी क्षेत्र में मवेशियों का पालन करना नियम विपरित है, ऐसे मवेशी पालक जो कि शहरी क्षेत्र में अनुमति के विपरित तबेले एवं बाड़ो का निर्माण कर मवेशियों का पालन किया जा रहा है वे स्वयं अपने तबेले एवं बाड़े नहीं तोड़ते है तो निगम द्वारा उन्हें तोड़ा जाकर राशि वसूल की जायेगी।

नगर निगम एक्ट की धारा 358 के तहत कोई भी व्यक्ति जो कि अपना घोड़ा या अन्य किसी भी पशु को अपनी इच्छा से खुला छोड़ेगा व उससे किसी व्यक्ति या संपत्ति को नुकसान पहुंचता है तो पालक पर 500 रुपये का अर्थदण्ड किये जाने का प्रावधान हैं। निगम एक्ट के तहत अब स्वच्छंद विचरण करने वाले मवेशी पालकों के घर जाकर निगम दस्ता अर्थदण्ड राशि रुपये 500/- वसूल करेगा स्वच्छंद रूप से विचरण करने वाले मवेशियों को पकड़ने की कार्यवाही प्रभारी स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए0पी0 सिंह के निर्देशन में स्वास्थ्य विभाग के अमले द्वारा की गई।

नगर निगम ने बाढ़ नियंत्रण कक्ष व आश्रय स्थल बनाये आपदा प्रबंधन हेतु निगम ने किये व्यापक प्रबंध

रतलाम 30 जून । अति वृष्टि के दौरान उत्पन्न होने वाली संभावित परिस्थितियों से निपटने एवं आपदा प्रबंधन के लिए निगम स्तर पर की जाने वाली व्यवस्थाओं के संबंध में निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने निगम में विभिन्न विभागों के अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पाबंद किया है।

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा दिये गये निर्देशों के तहत जीर्ण-शीर्ण भवनों को चिन्हित किया जाकर भवन स्वामी को नोटिस दिये जाने तथा क्षतिग्रस्त पुलियाओं को चिन्हित कर रेडियम लगाने के निर्देश के साथ जल प्लावन रोकने तथा पानी के बहाव में अवरोध उत्पन्न करने वाले नाला एवं नालियों के अतिक्रमण चिन्हित कर हटाये जाने तथा शहर के नाले नालियों एवं वाल के चेम्बरों पर लगे ढक्कन व फर्सी इत्यादि खुली न रहे इसकी व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी लोक निर्माण विभाग एवं कर्मशाला विभाग को सौंपी है।

अति वृष्टि हेतु 8 आश्रय स्थल बनाये जाकर कर्मचारियों की नियुक्ति की गई है जिसके तहत गांधीनगर कम्युनिटी हॉल पर श्री विशाल भटनागर मो0 नं0 9300885504, ईश्वर नगर विद्यालय भवन पर श्री मुकेश मेहता मो0 नं0 9629647211, शैरानीपुरा जमातखाना पर श्री विजय अग्रवाल मो0 नं0 9907454456, अम्बेडकर मांगलिक भवन पोलोग्राउण्ड पर राजेश सिंह सेंगर मो0 नं0 7697052031, अलकापुरी कम्युनिटी हॉल पर श्री प्रदीप उपाध्याय मो0 नं0 9589944748, धीरजशाह नगर रॉयल हॉल पर श्री कुलदीप भट्ट मो0 नं0 7471144027, भवन निर्माण कला केन्द्र बिरियाखेड़ी पर श्री महेश व्यास मो0 नं0 9752971374 तथा श्री जैन उ.मा.विद्यालय सागोद रोड पर श्री सुनील कपूर मो0 नं0 9644000433 को नियुक्त किया गया है । आश्रय स्थलों के व्यवस्था की जिम्मेदारी उपयंत्री श्री विकास मरकाम उपयंत्री को सौंपी गई है। जो नियुक्त किये गये कर्मचारियों के सहयोग से समुचित व्यवस्था सुनिश्चित करेंगे।

आपदा प्रबंधन के उपयोग में आने वाली आवश्यक सामग्री एवं संसाधनों का आंकलन कर उसके भण्डारण की जिम्मेदारी भण्डार रक्षक को सौंपी है साथ ही वर्षा ऋतु में शुद्ध जल की उपलब्धता एवं वितरण के लिये आवश्यक रसायनों की व्यवस्था एवं उपलब्धता तथा पानी निकालने के लिये पम्प आदि की व्यवस्था किये जाने की जिम्मेदारी प्रभारी कार्यपालन यंत्री जलप्रदाय को सौंपी है।

जल की समुचित निकासी एवं व्यवस्थित बहाव के लिए आवश्यक व्यवस्था तथा इस हेतु पृथक से दल गठित करना, वर्षा काल में सड़ी-गली सब्जी-फल आदि के विनिष्टीकरण की कार्यवाही एवं इस हेतु पृथक से दल गठित करना तथा नगर के विभिन्न क्षेत्रों में छोटे एवं बड़े नाले-नालियों की वर्षा पूर्व समुचित सफाई एवं जल एक स्थान पर एकत्रित न हो इसकी व्यवस्था, सार्वजनिक शौचालयों एवं मुत्रालयों की नियमित रूप से साफ-सफाई करवाई जाकर आपदा प्रबंधन के संबंध में आवश्यक संसाधन, कीटनाशक आदि की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी प्र.स्वास्थ्य अधिकारी एवं स्वच्छता निरीक्षकों को सौंपी गई है। इसके अलावा प्रकाश हेतु टार्च, पेट्रोमेक्स, तैराक इत्यादि की व्यवस्था के भी निर्देश संबंधित को दिये हैं।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने आपदा प्रबंधन एवं राहत कार्य के लिये नियंत्रण कक्ष जिसका दूरभाष नम्बर 07412-270563 स्थापित कर उपयंत्रियों एवं सहायक कर्मचारियों की 8-8 घण्टे की शिफ्ट में ड्यूटी लगाई।

इसके अलावा नाले नालियों की सफाई, वर्षा के जल को बड़े नालों में मिलाना, वर्षा का पानी एक स्थान पर एकत्रित होने पर कच्चे नाले-नालियों का निर्माण करना, अतिवृष्टि स्थल पर विद्युत लाईन काटने हेतु दल गठित करना, आपदा की स्थिति में फायर बिग्रेड दल को सुलभ रखना, तैराक की व्यवस्था करने सहित निगम के अन्य वाहनों को कार्यशील अवस्था में रखने के निर्देश संबंधितों को दिये।

गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जून । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक-पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक-पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वार्ड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरुद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 30 जून । स्वच्छ सर्वेक्षण-2021 में रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर-1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डों की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले-नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डों में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले-नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डों की समुचित साफ-सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पूरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डों में साफ-सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/30.06.2021/न.पा.निगम, रतलाम.